रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 25, 1983/माघ 4, 1904
No. 35] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 25, 1983/MAGHA 4, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1983

का. आ. 46(अ) :—चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 16क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार वाणिज्य मंत्रालय में भारत सरकार के दिनांक 2 नवम्बर, 1982 के आदेश सं. का. आ. 780(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

1. उक्त आदेश के दूसरे पैराग्राफ में,—

(1) क्रमांक (3) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात् :—

"(3) सचिव, असम सरकार,

उद्योग विभाग, दिसपुर अथवा उसके नामज़द व्यक्ति ;"

(2) क्रमांक (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात् —

"(5) क्षेत्रीय निदेशक, कम्पनी विधि बोर्ड,

कलकत्ता अथवा उनके नामज़द व्यक्ति ।"

2. तीसरे पैराग्राफ में "90 दिन" आंकड़ों तथा शब्द के लिए "180 दिन" आंकड़े तथा शब्द रखे जायेंगे ।

[फा सं. बी-12012(3)/79-प्लांट-क से जारी]
एस. गोपालन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 27th January, 1983

S.O. 46(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 16B of the Tea Act, 1953 (29 of 1953) the Central Government hereby makes the following amendments in the order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 780(E) dated the 2nd November, 1982 namely :—

1. In the said order, in the second paragraph,—

(i) for entries against serial No. (3), the following entries shall be substituted namely :—

"(3) Secretary to the Government of Assam, Industries Department, Dispur or his nominee;"

(ii) for entries against serial No. (5), the following entries shall be substituted namely :—

"(5) The Regional Director, Company Law Board, Calcutta or his nominee."

2. In the third paragraph for the figures and word "90 days," the figures and word "180 days,", shall be substituted.

[Issued from F. No. B-12012(3)/79-Plant A]
S. GOPALAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983